भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 985/मप्रविनिआ/2021 – विद्युत अधिनियम, (2003 का 36) की धारा 181 सहपठित धारा 45 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) एवं धारा 46 सहपठित भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा दिनांक 07.09.2009 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम 2009, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), (आठवां संशोधन) विनियम 2009 {एआरजी–31(I)(viii)वर्ष, 2021}

1. प्रस्तावना :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की मान्यता है कि उपभोक्ता सेवाओं में और अधिक सुधार सुनिश्चित करने तथा प्रचलित विनियमों को भारत सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 31–12–2020 को अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 से संरेखित करने हेतु उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध तथा संतोषप्रद निराकरण प्रदान करने की दृष्टि से प्रचलित नियमों को पुनरीक्षित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

2. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

(1) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) (आठवा संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी–31 (1) (viii), वर्ष 2021}"** कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

(3) ये विनियम मध्यप्रदेश "राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3. इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 में संशोधन :

प्रधान विनियिमो मे कथित विनियम के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 के सरल क्रमांक IV को संशोधन की अधिसूचना तिथि से निरस्त किया जाता है।

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.

Bhopal, the 15th July 2021

No. 985 MPERC- . In exercise of the powers conferred Section 181 read with Section 45(3)(b) and 46 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) read with the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 notified by Government of India and all powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations (Revision-I), 2009 notified on 07.09.2009.

EIGHTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RECOVERY OF EXPENSES AND OTHER CHARGES FOR PROVIDING ELECTRIC LINE OR PLANT USED FOR THE PURPOSE OF GIVING SUPPLY) REGULATIONS (REVISION-I), 2009 {RG-31 (I) of 2009 }

1. Preamble

The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission recognizes that a need has been arisen to revise the existing regulations to align with the Electricity (Rights of Consumers) Rules,2020 notified on 31.12.2020 by the Ministry of power , Govt, of India to ensure further improvement in consumers services as also to provide for timely and satisfactorily resolutions of consumers grievances.

2. Short Title and Commencement

(1) These Regulations shall be called the 'Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations, (Revision-I) 2009 (Eighth Amendment) {ARG-31(1)(viii) of 2021}.

(2) These Regulations shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

(3) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Govt of Madhya Pradesh official Gazette.

3. Amendment to Annexure I Appended with these Regulations :

In the Principal Regulations, Sr. No. IV in Annexure I appended with the Regulations shall be deleted from the date of notification of this amendment.

By order of the Commission,
GAJENDRA TIWARI, Secy.